सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ, जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – हरिसिह लम्बोरा (आर0 ए0 एस0)
प्रकरण संख्या– 77/2019

1–बनवारी 2–रामनिवास 3–महेश पुत्रगण रामस्वरूप जातिगण बाढई निवासीगण ग्राम घुघरई ग्राम पंचायत कैथरी तहसील सैपऊ जिला धौलपुर (राज0)

– – – – वादीगण

बनाम

1–केशव पुत्र प्रभू जाति बाढई 2–दीवानसिंह पुत्र छत्रपाल जाति लोधा निवासीगण घुघरई ग्राम पंचायत कैथरी तहसील सैपऊ जिला धौलपुर राज0

.....प्रतिवादीगण

3–आशारानी पत्नी बनवारी 4–कमलेश पत्नी रामनिवास 5–सुषमा पत्नी महेशकुमार जातिगण बाढई निवासीगण ग्राम घुघरई ग्राम पंचायत कैथरी तहसील सैपऊ
2–राजस्थान सरकार ज़रिये तहसीलदार साहब तहसील सैपऊ

.....तरतीवी प्रतिवादीगण

छावा स्वत्वघोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं दुरस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति –
1–श्री हरिवीरसिंह एडवोकेट ... .(वादी)

निर्णय ***दिनांकः 17.10.2019***

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि यह दावा वादीगण द्वारा पेश किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 444 रकवा 1 बीघा, 447 रकवा 2 बीघा 11 विस्वा 454 रकवा 17 विस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 4 बीघा 8 विस्वा वाके ग्राम घुघरई तहसील सैपऊ जिला धौलपुर विवादग्रस्त है जिसे आगामी मदों में विवादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। वादीगण के दादा स्व0 प्यारेलाल एवं प्रतिवादी संख्या–2 के पिता प्रभूलाल ने ज़रिये रजिस्टर्ड. विक्रयपत्र दिनांक 17.05.1969 को खातेदार हरीसिंह बल्द धर्मजीत कौम लोधा निवासी घुघरई तहसील सैपऊ जिला धौलपुर से विवादग्रस्त आराजी में से 1 बीघा आराजी प्रभूलाल ने एवं शेष आराजी यानि 3 बीघा 8 विस्वा वादीगण के बाबा प्यारेलाल ने संयुक्त रूप से क्रय की थी ओर रोजे खरीद से इसी अनुसार मौके पर कब्जा प्राप्त कर काश्त करते रहे वर्तमान में वादीगण अपनी पत्नीयां तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 के साथ उपरोक्तानुसार काबिज काश्त कर रहे हैं। वादीगण के दादा स्व0 प्यारेलाल का करीब 25 वर्ष पहले देहान्त हो चुका है उनके बिरासत का दाखिल खारिज वादीगण के पिता रामस्वरूप के नाम हो गया रामस्वरूप ने अपनी सम्पूर्ण आराजी का दानपत्र अपनी पुत्र बधुओं के नाम कर दिया दानपत्र के आधार पर तरतीवी प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 के नाम नामान्तरण हो

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

गया वादीगण के पिता रामस्वरूप का देहान्त हो गया है उनके जायज एवं कानूनी बारिस मात्र वादीगण है। आराजी क्रय करने के बाद वादीगण के दादा एवं प्रभूलाल ने विक्रयपत्र पटवारी को नामान्तकरण हेतु दे दिया पटवारी हल्का ने बिना विक्रयपत्र पढे या प्रभूलाल से मिलकर 1 बीघा आराजी की जगह प्रभूलाल के नाम 1/2 भाग का नामान्तकरण कर दिया जिसे ग्राम पंचायत ने बिना जांच के दिनांक 14.12.1969 को तस्दीक कर दिया जिसका ज्ञान वादीगण के दादा को नहीं रहा एवं उनके देहान्त के बाद चूंकि काश्त मुताबिक विक्रयपत्र करते थे इसलिये वादीगण के पिता को भी नहीं रहा दानपत्र सम्पूर्ण आराजी का लिखा गया इसलिये उस समय भी यह जानकारी नहीं हुई कि जिस आराजी का दानपत्र कर रहे है। उस समय पर इन्द्राज मुताबिक विक्रयपत्र है या नहीं उन्होंने अपनी पैत्रिक आराजी सहित सम्पूर्ण आराजी का दानपत्र कर दिया था। वादीगण को भी यह जानकारी नहीं थी कि राजस्व रिकार्ड में उनकी पत्नीयों के नाम 3 बीघा 8 विस्वा पर इन्द्राज नहीं है अब दिनांक 20.04.2014 की बात है वादीगण अपनी पत्नीयों तरतीवी प्रतिवादी 3 लगायत 5 के साथ विवादग्रस्त आराजी में खडी सरसों की फसल काट रहे थे कि प्रतिवादीगण ने आकर कहा कि इस साल से हम इस आराजी की फसल बराबर–बराबर लेंगें क्योंकि हमारा इस आराजी में 1/2 भाग है वादीगण ने कहा कि इसमें तुम्हारा हिस्सा मात्र 1 बीघा आराजी का है फिर तुम आधा हिस्सा कैसे ले सकते हों तो उन्होंने कहा कि पटवारी हल्का ने हमें बताया है कइस आराजी में हमारा 1/2 हिस्सा है इसलिये हम आधा हिस्सा लेंगे अगर तुम राजी से नहीं दोगे तो हम तुम्हें जबरन बेदखल कर देंगे और अपनी आराजी पर स्वयं काश्त करेंगे। प्रतिवादीगण के द्वारा धमकी देने पर वादीगण ने पटवारी हल्का से जानकारी की तब पता चला कि विक्रयपत्र के आधार पर सही नामान्तकरण नहीं हुआ है तब राजस्व रिकार्ड से नकल ली उसके बाद गांव में समाज के लोगों को इकट्ठा कर प्रतिवादीगण से इन्द्राज दुरस्त कराने के लिये तहसील चलने को कहा तो उस समय तो उन्होंने रजामन्दी देते हुये कह दिया कि कुछ दिन बाद हम तुम्हारे साथ तहसील चलेंगे और इन्द्राज दुरस्त करा देंगे लेकिन अब दिनांक 05.10.2014 को पुनः धमकी दी है कि वो ना तो इन्द्राज दुरस्त करायेंगे एवं जबरदस्ती आधी जमीन पर कब्जा करेंगे। अब जानकारी हुई है कि प्रभूलाल ने अपनी आधी आराजी को विक्रय कर दिया है मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड उसका हिस्सा 1/4 भाग पर कर दिया है जबकि उसका 10/88 भाग है और इसी अनुसार मौके पर काबिज है 10/88 से अधिक हिस्से तक का विक्रयपत्र शून्य विक्रयपत्र है जिससे वादीगण के हकूको पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है वादीगण प्रतिवादीसंख्या 1 हिस्से को शुद्ध कराने के अधिकारी है वादीगण को प्रतिवादीगण की धमकी के बाद लाजमी हो गया है कि वो विवादग्रस्त आराजी में मुताबिक विक्रयपत्र राजस्व रिकॉर्ड में तरतीवी प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 के हिस्से सहित 68/88 का अर्थात 24/88 भाग का स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करावे क्योंकि 44 विस्वा अर्थात 44/88 भाग का वादीगण के पिता उनके जीवन काल में ही तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 5 के नाम दानपत्र कर चुके है। तरतीवी प्रतिवादीगण 3 लगायत 5 वादीगण की पत्नीयां है एवं राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धी कराकर प्रतिवादीगण के इन्द्राज को शुद्ध कराकर उपरोक्तानुसार इन्द्राज करावें

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे कि वो वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 5 के हिस्से की आराजी में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा ना करे एवं वादीगण उपरोक्तानुसार घोषणा एवं इन्द्राज व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने के अधिकारी है। ग्राम पंचायत कैथरी ने नामान्तकरण संख्या 10 विक्रयपत्र के अनुसार नहीं किया है जिससे प्रतिवादीगण के हकूको पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है प्रतिवादी संख्या 2 के पिता प्रभूलाल के नाम 1 बीघा से अधिक का किया गया नामान्तकरण प्रारम्भ से ही शून्य है 1 बीघा से अधिक आराजी पर प्रभूलाल एवं उसके वारिसान/प्रतिवादीगण कभी काबिज नहीं रहें है नाहीं वर्तमान में काबिज है। वादकारण दिनांक 04.10.2014 को प्रतिवादीगण द्वारा इन्द्राज दुरस्त कराने से मना करने पर एवं जबरन वादीगण को उनके हिस्से से बेदखल करने की धमकी देने पर व मुकान ग्राम घुघरई तहसील सैपऊ जिला धौलपुर में पैदा हुआ जो निरन्तर जारी है। प्रतिवादीगण ने वादीगण के कब्जा काश्त की आराजी पर अपने कहे अनुसार कब्जा कर किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय कर दिया तो वादीगण को बहुत बडी हानि होगी जिसकी भरपाई करना मुश्किल होगा । तरतीवी प्रतिवादी संख्या–6 राज0 सरकार को लैण्ड होल्डर की हैसियत से फरीक मुकदमा बनाया गया है उनके विरूद्ध कोई दादर्शी नहीं चाही जाती है। तरतीवी प्रतिवादीसंख्या 3 लगायत 5 को आवश्यक पक्षकार होने की वजह से फरीक मुकदमा बनाया गया है। उनके विरूद्ध कोई दादर्शी नहीं चाही जाता है। बल्कि उनके हक में दारर्शी चाही जाती है।

अन्त में निवेदन किया है कि दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जावें कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 444 रकवा 1 बीघा 447 रकवा 2 बीघा 11 विस्वा, 454 रकवा 3 विस्वा कुल किता 3 कुल रकवा 4 बीघा 8 विस्वा वाके ग्राम घुघरई तहसील सैपऊ जिला धौलपुर में वादीगण को 24/88 भाग का एवं तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 5 को 44/88 भाग खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादीगण के इन्द्राज को दुरस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जावे एवं प्रतिवादीगण के इन्द्राज को दुरस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में उनका हिस्सा 10/88–10/88 अलग–अलग दर्ज कराया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो विवादग्रस्त आराजी में वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण 3 लगायत 5 के हिस्से की आराजी/काबिज काश्त में कोई व्यवधान पैदा ना करें एवं नाही अपने ऐजेन्टों से कराये।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किये गये। प्रतिवादीगण बाबजूद तामील उपस्थित नही। अतः प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

वादी ने अपने दस्तावैजी साक्ष्य में असल बयनामा दिनांक 14.12.69 प्यारेलाल, प्रभूलाल जमाबन्दी छायाप्रति खाता संख्या 51 संम्बत 69–72 वाके ग्राम घुघरई, प्रमाणित जमाबन्दी सम्बत 2028–31 वाके ग्राम घुघरई खाता संख्या–41, प्रमाणित जमाबन्दी संबमत 32–36 वाकेग्राम घुघरई खाता संख्या–45 एवं प्रमाणित नामान्तकरण

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

संख्या 10 सन् 14.09.69 वाकेग्राम घुघरई प्रस्तुत किये है। अतः हम वादीगण को विक्रय पत्र के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित करना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 444 रकवा 1 बीघा 447 रकवा 2 बीघा 11 विस्वा, 454 रकवा 3 विस्वा कुल किता 3 कुल रकवा 4 बीघा 8 विस्वा वाके ग्राम घुघरई तहसील सैपऊ जिला धौलपुर में वादीगण को 24/88 भाग का एवं तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 5 को 44/88 भाग को मुताविक विक्रय पत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीगण के इन्द्राज को दुरस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में उनका हिस्सा 10/88 – 10/88 अलग–अलग दर्ज कराया जाकर तदनुसार ही राजस्व अभिलेखो में इन्द्राज किया जावें। पर्चा डिक्री जारी की जावे । पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 17.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरिसिंह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

डिगरी व मुकदमे ईब्तदाई

पीठासीन अधिकारी –हरीसिह लम्बोरा आर0 ए0 एस0
प्रकरण संख्या– 77/2019

1–बनवारी 2–रामनिवास 3–महेश पुत्रगण रामस्वरूप जातिगण बाढई निवासीगण ग्राम घुघरई ग्राम पंचायत कैथरी तहसील सैपऊ जिला धौलपुर (राज0)

– – – – वादीगण

बनाम

1–केशव पुत्र प्रभू जाति बाढई 2–दीवानसिंह पुत्र छत्रपाल जाति लोधा निवासीगण घुघरई ग्राम पंचायत कैथरी तहसील सैपऊ जिला धौलपुर राज0

.....प्रतिवादीगण

3–आशारानी पत्नी बनवारी 4–कमलेश पत्नी रामनिवास 5–सुषमा पत्नी महेशकुमार जातिगण बाढई निवासीगण ग्राम घुघरई ग्राम पंचायत कैथरी तहसील सैपऊ
2–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील सैपऊ

.....तरतीवी प्रतिवादीगण

छावा स्वत्वघोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं दुरस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ हरीसिह लम्बोरा (आर.ए.एस.) व हाजरी मिनजानिव वादी हरिवीरसिह सिकरवार एडवोकेट एवं मिनजानिव प्रतिवादी ....एडवोकेट पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 444 रकवा 1 बीघा 447 रकवा 2 बीघा 11 विस्वा, 454 रकवा 3 विस्वा कुल किता 3 कुल रकवा 4 बीघा 8 विस्वा वाके ग्राम घुघरई तहसील सैपऊ जिला धौलपुर में वादीगण को 24/88 भाग का एवं तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 5 को 44/88 भाग को मुताविक विक्रय पत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीगण के इन्द्राज को दुरस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में उनका हिस्सा 10/88 – 10/88 अलग–अलग दर्ज कराया जाकर तदनुसार ही राजस्व अभिलेखो में इन्द्राज किया जावें।

वशव्द मेरे एंव मुहर अदालत से आज दिनांक 17.10.2019 को जारी की गई।

(हरीसिह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ